

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं
 पीठासीन अधिकारी :::: सतीश कुमार (नायब तहसीलदार)
 मिसल नं. :::: 13 / 2021
 सरकार बनाम सुमेर पुत्र हरलाल, जाति- जाट, निवासी-
 नेतरामपुरा

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 22.06.2021

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल सुमेर पुत्र हरलाल, जाति-जाट, निवासी-नेतरामपुरा द्वारा रोही मोजा नेतरामपुरा कि राजकीय भूमि ख.नं. 81 के कुल रकबा 6.54 है० किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.15 है० भूमि पर द्वारा बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट भू.अ.नि. द्वारा प्रस्तुत की गई। भू.अ.नि. द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया जिसमें गै.मु.जोहड़ की भूमि पर अपना अतिक्रमण स्वीकार करते हुए अतिक्रमण हटाने बाबत 7 दिवस का समय चाहा। गैर सायल द्वारा प्रस्तुत जवाब के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 49 दिनांक 15.06.2021 से जांच भू.अ.नि. भावठड़ी से करवाई गई। भू.अ.नि. भावठड़ी,द्वारा दिनांक 21.06.2021 को प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार गैर सायल द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया। उक्त गै.मु. जोहड़ की भूमि में गैर सायल का अतिक्रमण पाया गया। रिपोर्ट भू.अ.नि.से अतिक्रमण की पुष्टी होती है। अतः गैर सायल का जवाब संतोषजनक नहीं माना जा सकता है अतः रिपोर्ट भू.अ.नि. को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाता है। एवं अतिचारी के विरुद्ध बेदखली आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 75रु. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.06.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

र० ले० स० 4 के गृह सं. 06 पर
 वर्ष 2021-22 में रुपये 75/- कायम है।
 राजस्व लेखाकार

(सतीश कुमार)
 नायब तहसीलदार, सूरजगढ़